भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 387 का उत्तर

तमिलनाडु में परियोजनाएं

387. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें बजट में किस वर्ष शामिल किया गया है तथा नवीनतम अनुमानित लागत और अब तक हुआ व्यय कितना है तथा भविष्य में कितना व्यय किया जाना है;

(ख) क्या इन नई रेल लाइन परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया है अथवा बीच में छोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

तमिलनाडु में परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में श्री सु. वेंकटेशन के अतारांकित प्रश्न सं. 387 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल परियोजनाओं को क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत और शुरु किया जाता है, न कि राज्य-वार/जिला वार, क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। बहरहाल, दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्ण रूप से/आंशिक रूप से पड़ने वाली 33,467 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,587 कि.मी. कुल लंबाई की 22 रेल अवसंरचना परियोजनाएं (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) योजना/स्वीकृति/निष्पादन के विभिन्न चरणों में है, जिनमें से मार्च, 2024 तक 665 कि.मी. को कमीशन कर दिया गया है और 7,153 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैः

- **14,669 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 872 कि.मी. लंबाई की 10 नई लाइन परियोजनाओं में से मार्च, 2024 तक 24 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 1,223 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।**
- **5,417 करोड़ रुपये की लागत से कुल 748 कि.मी. लंबाई की 03 आमान परिवर्तन परियोजनाओं में से मार्च, 2024 तक 604 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 3,267 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।**
- **13,381 करोड़ रुपये की लागत से कुल 967 कि.मी. लंबाई की 09 दोहरीकरण परियोजनाओं में से मार्च, 2024 तक 37 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और 2,664 करोड़ रुपये का व्यय उपगत किया गया है।**

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे (दरे), दक्षिण मध्य रेलवे (दमरे) और दक्षिण पश्चिम रेलवे (दपरे) क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। सभी रेलवे परियोजनाओं का क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा, जिसमें नवीनतम स्वीकृत लागत, व्यय और परिव्यय शामिल है, भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

2014 से बजट आवंटन और परियोजनाओं की तदनुरूपी कमीशनिंग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचना और संरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन इस वर्ष बढ़ाकर सर्वाधिक 6,362 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि 2013-14 के 922 करोड़ रुपए के बजट आवंटन का लगभग सात गुना है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन निम्नानुसार है:-

अवधि	औसत परिव्यय	2009-14 के दौरान औसत आवंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	879 करोड़ रु./वर्ष	-
2023-24	6,080 करोड़ रु.	7 गुना से अधिक

2014-24 के दौरान, तमिलनाडु राज्य में पूर्णत/आंशिक रूप से पड़ने वाले 1302 किमी खंड (39 किमी नई लाइन, 456 किमी आमान परिवर्तन और 807 किमी दोहरीकरण) को 130.2 कि.मी. प्रति वर्ष की औसत दर से कमीशन किया गया है।

यद्यपि बजट आबंटन कई गुना बढ़ाया गया है लेकिन परियोजना निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। राज्य सरकार मुआवजा राशि का निर्धारण करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर रेलवे द्वारा संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुवाअजा धनराशि जमा की जाती है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग कुल आवश्यक 2749 हेक्टेयर भूमि में से लगभग केवल 807 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए गए थे लेकिन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हो सकी थी। भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार की सहायता आवश्यक है।

रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना को पूरा करने के समय को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त बाधाओं के बावजूद, परियोजना (परियोजनाओं) का शीघ्रोशीघ्र निष्पादन करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

*****